



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-48बी0/2015- 763 दिनांक : 15/6/18

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल/ मेदिनीनगर वन प्रमण्डल/
गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल/ गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल/ लातेहार वन
प्रमण्डल/ चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल/ चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल/ कोडरमा
वन प्रमण्डल/ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल/ हजारीबाग पूर्वी वन
प्रमण्डल/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल,
कोडरमा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर
वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक
योजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वन भूमि पर वृक्षारोपण, शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का
रोपण तथा गैर वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) के लिए
कुल **रु0 86.436 लाख (छियासी लाख चौतीस हजार छः सौ रुपये)**
मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट-70/2015-60/स्वी0 व0प0
दिनांक-07.03.2017 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-
70/2015-03/आ0 व0प0 दिनांक 27.04.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-
वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के
लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण
योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0
86.436 लाख (छियासी लाख चौतीस हजार छः सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन
निम्नलिखित इकाइयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789580103	74.844
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789580323	11.592
कुल :-		86.436

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1 (क) से (ग)** पर
वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने
कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति
प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2 (क) से (ग)** पर
तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या— पी0 19S240601789580103 तथा पी0 19S240601789580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. वन प्रमण्डलों द्वारा “स्थल विशेष प्राक्कलन” श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी जिसकी प्रमण्डलवार समेकित प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित किया जायेगा।
6. नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।
7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।
8. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
10. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।
11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी।

14. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-48बी0/2015-763 दिनांक- 15/6/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग/ संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ पलामू/ हजारीबाग/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/ मेदिनीनगर/ गढ़वा/ चतरा/ हजारीबाग/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-48बी0/2015-763 दिनांक- 15/6/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, देवघर/ मेदिनीनगर/ गढ़वा/ लातेहार/ चतरा/ कोडरमा/ हजारीबाग/ देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना (अनु0जा0 के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)

क्रम सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे0)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			6684.62	961.00	7645.62
i	ii	iii	iv	v	vi
1	देवघर वन प्रमंडल, देवघर	60	4.011	0.576	4.587
2	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर	25	1.671	0.240	1.911
3	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा	30	2.005	0.288	2.293
4	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग	30	2.005	0.288	2.293
5	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	70	4.679	0.673	5.352
6	गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा	60	4.011	0.576	4.587
7	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा	60	4.011	0.576	4.587
8	लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार	60	4.011	0.577	4.588
9	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	60	4.011	0.577	4.588
10	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	60	4.011	0.577	4.588
11	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	60	4.011	0.577	4.588
12	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	60	4.011	0.577	4.588
13	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	60	4.010	0.577	4.587
योग :-		695	46.458	6.679	53.137

अनुलग्नक-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना (अनु0जा0 के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)

क्रम सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे0)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			12381.74	2138.50	14520.24
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा	30	3.715	0.642	4.357
2	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा	30	3.715	0.642	4.357
3	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	30	3.714	0.642	4.356
4	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	25	3.095	0.534	3.629
5	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	25	3.095	0.534	3.629
6	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	60	7.429	1.283	8.712
योग :-		200	24.763	4.277	29.040

9

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

क्रम सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			9058.42	1590.00	10648.42
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा	40	3.623	0.636	4.259
योग :-		40	3.623	0.636	4.259
सकल योग :-		935	74.844	11.592	86.436

विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 04/यो०ब०-70/2015-60/स्वी० व०प० दिनांक 07.03.2017

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक—

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर प्रति हे०

योजना का नाम— भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना गैर-वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी० x 2 मी०)

मजदूरी दर : 237.38 रु० प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
(A)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में सम्पौषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)					
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हे०	23.00	5459.74	0.00	5459.74
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1300.00	1300.00
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	हे०	12.16	2886.54	0.00	2886.54
	पौधों की सुरक्षा (30 हे० से अधिक)					
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	3.00	712.14	290.00	1002.14
योग :-			38.16	9058.42	1590.00	10648.42

प्रधान मुख्य वन संप्रदाक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1000 पौधे

स्पेसिंग 3मी. x 3मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

मजदूरी दर : 237.38 रु० प्रति मानव दिवस

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
(A)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)					
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	14.00	3323.32	0.00	3323.32
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/ यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे०	0.00	0.00	785.00	785.00
3	पौधों की सुरक्षा			0.00		
3.1	30 हे० तक	हे०	12.16	2886.54		2886.54
3.2	30 हे० से 60 हे० तक					
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	2.00	474.76	176.00	650.76
योग :-			28.16	6684.62	961.00	7645.62

अनुलग्नक—

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : 2500 पौधे का वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 2500 पौधे

पौधों की दूरी : 2 मी० x 2 मी०

मजदूरी दर : 237.38 रु० प्रति मानव दिवस

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
(A)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)					
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	35.00	8308.30	0.00	8308.30
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/ यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे०	0.00	0.00	1962.50	1962.50
3	पौधों की सुरक्षा					
3.1	30 हे० तक	हे०	12.16	2886.54		2886.54
3.2	30 हे० से 60 हे० तक					
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	5.00	1186.90	176.00	1362.90
योग :-			52.16	12381.74	2138.50	14520.24

प्रधान मुख्य जल संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

आरखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-48B/15/763

दिनांक - 15-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	34560	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	401,100.00 रुपये चार लाख एक हजार एक सौ
2	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	34561	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	777,400.00 रुपये सात लाख सित्तीत्तर हजार चार सौ
3	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	34570	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	772,600.00 रुपये सात लाख बहत्तर हजार छः सौ

योग:

1,951,100.00

क्रमिक योग:

रुपये उन्नीस लाख इकावन हजार एक सौ

(SHRI SATNAM SINGH)
PCCF.D.BADHARGHANS RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	34571	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	772,600.00 रुपये सात लाख बहत्तर हजार छः सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
5	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	34573	LTRFOR001 VED PRAKASH KAMBOJ DFO FOREST DIV LATEHAR	401,100.00 रुपये चार लाख एक हजार एक सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
6	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	34574	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	1,144,000.00 रुपये ग्यारह लाख चवालीस हजार
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

योग: 2,317,700.00

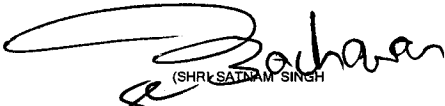
क्रमिक योग: रुपये बयालीस लाख अडसठ हजार आठ सौ 4,268,800.00


(SHRI SATNAM SINGH)
PCCF, DADAR (NORTH) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	34576	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	772,500.00 रुपये सात लाख बहत्तर हजार पाँच सौ
8	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	34577	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	401,100.00 रुपये चार लाख एक हजार एक सौ
9	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	34578	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	710,600.00 रुपये सात लाख दस हजार छः सौ

योग: 1,884,200.00

क्रमिक योग: रुपये इकसठ लाख तीरपन हजार 6,153,000.00


(SHRI SATNAM SINGH)
PCCF, DABHANGHANS RANCHI

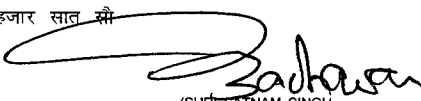
क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	34579	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	401,000.00 रुपये चार लाख एक हजार
State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA				
11	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	34581	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	167,100.00 रुपये एक लाख सड़सठ हजार एक सौ
State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA				
12	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	34583	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	562,800.00 रुपये पाँच लाख बासठ हजार आठ सौ
State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA				

योग:	1,130,900.00
क्रमिक योग:	रुपये बहत्तर लाख तिरयासी हजार नौ सौ 7,283,900.00
(SHRI SATNAM SINGH) PCCF, D. B. MARG (S.F.) RANCHI	

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवर्तित राशि
13	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	34584	HZBFWL007 NAGENDRA BAITHA, I F S D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	200,500.00 रुपये दो लाख पाँच सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
14	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	34585	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	57,600.00 रुपये सत्तावन हजार छः सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
15	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	34586	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	120,700.00 रुपये एक लाख बीस हजार सात सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

योग: 378,800.00

क्रमिक योग: रुपये छहत्तर लाख बासठ हजार सात सौ 7,662,700.00


(SHRI SATNAM SINGH)
PCCF, D. (BACHHANGANIS) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	34587	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	121,800.00 रुपये एक लाख इक्कीस हजार आठ सौ
17	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	34588	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	121,800.00 रुपये एक लाख इक्कीस हजार आठ सौ
18	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	34589	LTRFOR001 VED PRAKASH KAMBOJ DFO FOREST DIV LATEHAR	57,700.00 रुपये सत्तावन हजार सात सौ

योग:	301,300.00
क्रमिक योग:	रुपये उन्नासी लाख चौसठ हजार
	7,964,000.00
	SHRI SATNAM SINGH DDCF, DEAD MARKS (S) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	34590	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	186,000.00 रुपये एक लाख छियासी हजार
20	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	34592	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	121,900.00 रुपये एक लाख इक्कीस हजार नौ सौ
21	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	34593	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	57,700.00 रुपये सत्तावन हजार सात सौ
योग:				365,600.00
क्रमिक योग:			रुपये तिरयासी लाख उन्तीस हजार छः सौ	8,329,600.00
 SRI SATNAM SINGH PCCF, DEBARKHANA (S) RANCHI				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	34594	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB	111,100.00 रुपये एक लाख ग्यारह हजार एक सौ
23	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	34595	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	57,700.00 रुपये सत्तावन हजार सात सौ
24	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	34596	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	24,000.00 रुपये चौइस हजार

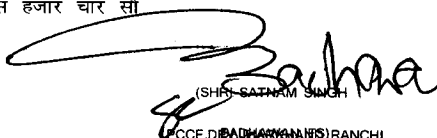
योग:

192,800.00

क्रमिक योग:

रुपये पचयासी लाख बाइस हजार चार सौ

8,522,400.00



(SHRI. SATHNAM SINGH)
CCF, D. HAZARIBAG (S) RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवृत्ति राशि
25	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	34597	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	92,400.00 रुपये बयानवे हजार चार सौ
State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA				

26	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	34598	HZBFWL007 NAGENDRA BAITHA, I F S D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	28,800.00 रुपये अठाइस हजार आठ सौ
State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA				

योग:	121,200.00
क्रमिक योग:	रुपये छियासी लाख तीरयालीस हजार छः सौ 8,643,600.00


SHRI SATNAM SINGH
CCF, DEBARKHANNA (S) RANCHI